IMPACT FACTOR : 3.0498

ISSN-2348-2702

Peer Reviewed

APOORV KNOWLEDGE

International Journal of Multidisciplinary Research

ONE DAY MULTIDISCIPLINARY NATIONAL CONFERENCE

ON

INDIAN SOCIETY : PROBLEMS AND SOLUTIONS

• Organized by •

Shri. Dnyaneshwar Shikshan Sanstha's

SHIVCHHATRAPATI ARTS COLLEGE

Pachod, Tq. Paithan, Dist. Aurangabad (M.S.)

Vol - 2

• EDITOR-IN-CHIEF •

Dr. Vandana Bankar

• EDITOR •

Dr. Hariprasad Bidve

Dr. Uttam Jadhav

Impact Factor : 3.0498 ISSN - 2348-2702

Apoorv Knowledge

International Journal of Multidisciplinary Research
Peer Reviewed
Vol.-II

One Day Multidisciplinary National Conference
on
Indian Society : Problems and Solutions

Organized by
Shri. Dnyaneshwar Shikshan Sanstha's
Shivchharapati Arts College, Pachod
Tq. Paithan, Dist. Aurangabad (M.S.)
on
2nd March 2019

◈ EDITOR-IN-CHIEF ◈
Dr. Vandana Namdeo Bankar

◈ EDITOR ◈
Dr. Hariprasad Bidve Dr.Uttam Jadhav

◈ EDITORIAL BOARD ◈
Dr. Santosh Chavhan
Prof. Hemantkumar Jain.
Prof. Tukaram Gawande
Prof. Vinod Kamble
Prof. Sachin Kadam

35.	स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में सामाजिक समस्याएँ और समाधान ('सूरज का सातवाँ घोडा' और 'नौकर की कमीज' के विशेष संदर्भ में) डॉ. रविंद्र कारभारी साठे	123
36.	स्त्री विमर्श प्रा.डॉ. जाधव अर्जुन रतन	127
37.	दलित आत्मकथाओं में व्यक्त आंबेडकर विचार 'जीवन हमारा' के विशेष संदर्भ में डॉ.विटोरे कुलुलाल आसाराम	130
38.	भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण कितना सच कितना झुठ... प्रा.डॉ. दीपक विनायकराव पवार	134
39.	स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटकों में चित्रित सामाजिक समस्याएँ प्रा. तुकाराम पाराजी गावंडे	137
40.	महिला कहानीकारों की कहानियों में स्त्री–विमर्श डॉ.विठ्ठलसिंह रूपसिंह घुनावत	142
41.	मॉल मून में अभिव्यक्त उत्तरआधुनिकवाद डॉ.परमेश्वर जिजाराव काकडे	144
42.	नासिरा शर्मा और आशा बगे की कहानियों में स्त्री विमर्श सिद्धार्थ शेषराव भटकर	147
43.	स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना प्रा.श्रीमती पोटकुले हिरा	151
44.	स्त्री विमर्श साहित्य समाज और मिडिया डॉ संतोष नामदेव तांदळे	154
45.	दलित उपन्यास साहित्य डॉ. दत्तात्रय लक्ष्मण येडले	157
46.	सोशल मीडिया एक वास्तविकता डॉ. दत्तात्रय नानासाहेब फुके	159
47.	आदिवासी उपन्यास में शैक्षिक आयाम भाग्यश्री विलास कोष्टी	161
48.	फैसला काहनी मे नारी विमर्श (मैत्रेयी पुष्पा) प्रा. डॉ. कडेकर सी. जी.	164
49.	ग्रंथालय सुरक्षा आणि उपाययोजन डॉ.योगेश प्रभाकर भाले	166
50.	महाविद्यालयीन ग्रंथालयात माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थापनात ग्रंथपालाची भुमिका डॉ. ह.सो. बिडवे	169
51.	म. जोतिबा फुले यांच्या साहित्याने केलेलासामाजिक (सकारात्मक)बदल प्रा. विनोद जगन्नाथ कांबळे	173

भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण कितना सच कितना झुठ...

प्रा.डॉ. दीपक विनायकराव पवार

हिंदी विभाग, दिगंबरराव बिंदू महाविद्यालय, भोकर जि. नांदेड (महा.)

मनुष्य नामक प्राणी का नर और मादा के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। मनुष्य जन्म का इतिहास अत्यंत रोचक है। कुछ लोग मनुष्य को ईश्वर निर्मित मानते है तो डर्विन जैसे विचारक मनुष्य को जानवरों का विकसित रूप मानते है। जो कुछ हो यह तो सभी मानेगें कि मनुष्य एक विचारशिल प्राणी है। इसी कारण वह अन्य प्राणियों से अलग है। मनुष्य विचार करता है और उसे प्रकट भी करता है। इसी कारण मनुष्य ही केवल प्राणी है जो अपने मन में उठनेवाली तमाम भावनाओं को शब्दोंद्वारा प्रकट करता है।

यह बात तय है कि विश्व में सबसे बुध्दिमान प्राणी मनुष्य है, परंतु उसमें जो स्त्री-पुरूष का भेद है, इस भेद ने दोनों के रिश्तों मे तनाव निर्माण किया। यही कारण है कि उनके संबंधो में हमें कई बदलाव नजर आते हैं।

"यह नार्यास्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवता: ।"

अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। संस्कृत के इस श्लोक के अनुसार प्राचीन काल में हमारे देश में महिलाओं को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था तथा उनका समाज में सम्मान जनक शब्दों से संबोधित किया जाता था। उन्हें अपने घर में तथा समाज में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन भारत में महिलाओं का गौरवपूर्ण स्थान था। उनके गौरव का प्रमाण यह श्लोक भी है।

"जनकी जन्म भूमिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी ।"

अर्थात जननी और जन्मभूमी स्वर्ग से भी अधिक गरिमामय है। नारी को इस प्रकार का सम्मान देनेवाली बात महर्षि रमण ने कहा था- "पति के लिये चरित्र, सन्तान के लिये ममता, समाज के लिये शील, और जीवन मात्र के लिये करूणा सजोने वाली महाकृती का नाम नारी है।"

प्रकृति प्रदत्त ईश्वर द्वारा दिये गये अधिकार स्त्री के लिये बोझ नहीं, वरदान है। अगर पुरूष आकाश है तो स्त्री धरती। बादल का टुकडा ऊपर से गिरता है तो धरती सहेज लेती है पर जब धरती फटती है तो कहीं कोई सहेजने वाला नहीं होता। अंग्रेजी लेखन गोल्डस्थिम का कथन है- "नारी उस वृक्ष के समान है जो झुकने से झुक तो सकती है लेकिन टुट नहीं सकती।"

भारतीय नारी सृष्टि के आरंभ से अनंत गुणों की आगार रहीं है। नारी को उचित सम्मान देने वाला भारत के समाज में एक समय वह भी आया जब देश में स्त्रियों को "पैरों की जूती" कहा जाने लगा तथा उन्हें "दासी" और "भोग्या" के रुप में जाना जाने लगा। नारीयों की इसी दयनीय स्थिती का निरूपण करते हुए दु:खी होकर राष्ट्रकवि बाबु मैथिली शरण गुप्त को कहना पडा कि-

"अबला जीवन हाय तुम्हारी
यही कहानी
आंचल में है दुध और आँखे में
पानी ।"

किन्तु फिर समय ने पलटी खाई। आज हमारे देश में इस बात को समझा जाने लगा है कि पुरुष और नारी दोनों ही "जीवन रूपी गाडी" के दो पहिए है और उनके बराबर चलने पर भी यह गाडी अच्छी तरह से चल सकती है। आज इस बात पर भी बल दिया जाने लगा है कि देश की इस "आधी आबादी" इतने ही नहीं इस अधिक अच्छे आधे भाग "बैटर हाफ" के सम्मान और सहयोग दिए बिना देश प्रगति के पथ पर आगे नहीं जा सकता। इसका एक यह भी महत्वपूर्ण कारण है कि देश के भावी राष्ट्र निर्माता -"बालक-बालिकाओं" के निर्माण का गुरुत्तर दायित्व देश की महिलाओं पर ही है।

हमारे देश के संविधान में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात पर ध्यान दिया है और महिलाओं को संविधान में विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ यह कहना भी विशेष महत्वपुर्ण है कि- "एक पुरुष को शिक्षित करने से अधिक उचित एक महिला को शिक्षित करना है, क्यों कि एक महिला के शिक्षित होने का अर्थ पूरे परिवार को शिक्षित करना है।"

इसलिए आज देश में महिलाओं का सशक्तिकरण, उनको उचित न्याय, उनको अपने अधिकार, उन्हें अच्छी तालीम देना समय की मांग है। आजादी के बाद हमने ७० वर्ष का सफर तय कर लिया है। इसमें दो राय नहीं कि इस सफर में हमने क्या

नया अर्जित किया और किन अवांछित चीजों से छुटकारा पाया, यह बहुतों के लिए विमर्श का विषय है। बहुत से राजनीतिविज्ञानी इस बात को गर्व से कहते देखे जाते है कि, हमने लोकतंत्र बनायें ही नहीं रखा बल्कि यथा संभव उसे मजबुत भी किया। कुछ हद तक यह सच्चाई भी है। लेकिन इस आधी शताब्दी में भारतीय समाज ने क्या स्वरुप ग्रहण किया, हमने अपने स्थापित मुल्यों का कितना सम्मान किया और हमने जो सामाजिक लक्ष्य निर्धारित किया था, उसके कितना करीब पहुंच पाये, उस पर सोचने विचारने की मशक्कत अब कम होती जा रही है। बीते इन ७० वर्षे में भारतीय समाज ने वास्तव में क्या वह रूप ग्रहण किया जिसकी कल्पना की गयी थी ? जाहीर है कि उत्तर नकारात्मक ही है क्योंकि पिछले ७० वर्षे मे हमने अपने सामाजिक और नैतिक मुल्यों को कमजोर ही किया है। सामाजिक व्यवहार के जो मानक थे, उन्हें क्षति ही पहुंचायी है।

विवेकानंद जी ने कहा था "स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उडना नितांत असंभव है।" चिर काल से चली आ रही नारी जाति की कोमलता, शक्ति और सहनशीलता के आदर्श को पुनः प्राप्त करने के लिये इनकी समस्याओं का समाधान करना अत्यावश्यक है क्योंकि ये समस्यायें नारी की सहनशक्ति की सीमा को पार कर रही है। भारतीय पुनजार्गरण काल में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि ने नारी की दशा में सुधार के लिये व्यापक प्रयास किये। वर्तमान सरकार और समाज भी नारी स्वातंत्र्य के लिये जागरूक है। पिता की संपत्ती में लडकियों के भाग की भी व्यवस्था की गई है। उनकी शिक्षा के लिये पर्याप्त सुविधाये लागू की गई है। आज की नारी केवल व्यक्तिगत विकास के लिये ही नहीं समाज सेवा में भी अग्रणी है। इस संदर्भ में मदर टेरेसा, किरण बेदी, सिंधुताई सपकाळ जैसे नाम उल्लेखनीय है। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि किसी भी नारी के केवल नारी होने के कारण ही अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।

महिलाओ के अधिकार की अभिवृध्दि का उद्‌भव द्वितीय विश्व युध्द डी समाप्ती के समय से विश्व के जनसमुदाय में हुआ। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका मानव जाति की गरिमा एवं योग्यता में भौतिक मानवाधिकारों में पुनः विश्वास पैदा करने के लिए, उसका संबंध लोक आर्थिक एवं सामाजिक समुन्नति की प्रोन्नति के लिए अन्तरराष्ट्रीय यांत्रिकी का प्रयोग करने के लिए तथा पुरुषों तथा स्त्रियों के समान अधिकारो से होता है।

महिलाओं को अपनी वर्तमान सोच में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। उनको अपने आत्मसन्मान व आत्मविश्वास को बढाना चाहिए उन्हें अपनी ताकत और सामर्थ्य को पहचानना व समझना चाहिए। उनकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए ताकि वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें। उन्हें स्वयं को महत्त्व देने का और अपने ज्ञान एवं कौशलों को पहचानना और महत्त्व देना चाहिए। घर-परिवार और समाज को संपोषित करने में उनके योगदान को समझा व सराहा जाए इसके लिए भी उन्हें स्वयं ही प्रयास करने होंगे। अपने मौलिक अधिकारों पर, जो कि उनके मानवाधिकार भी हैं, दृढ रहने के महत्व को भी उन्हें समझ लेना चाहिए। महिलाओं की सशक्तिकरण का लक्ष्य मुश्किल है इसके मार्ग पर चलते हुए उन्हें कई मनो-सामाजिक कीमतें चुकानी पड़ेंगी जैसे कि एक सुरक्षित अस्तित्व का अभाव, अपनी बहुल भूमिकाओं को निभाने में किसी की मद्द न मिल पाना और विभिन्न मुद्दों के बारे में संभ्रान्ति आदि। परन्तु यह संघर्ष व्यक्तिगत स्तर पर ही शुरू होता है और संघर्ष के फलस्वरुप ही सशक्तिकरण होता है और यह निरंतर संघर्ष प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।

विगत कुछ वर्षों से महिलाएं, हालांकि व्यक्तिगत आन्दोलन करती चली आ रही हैं किन्तु वे इस आंदोलन में अकेली नहीं है। विभिन्न समुदायों और देशों के अंतर्गत और पूरे विश्व भर में महिलाएँ एक-दूसरे से जुड़ रही हैं ताकि अपने सशक्तिकरण के लिए वे अपने प्रयासों का और तीव्र व विस्तृत कर सकें। यह प्रवृत्ति महिलाओं के सैंकड़ों संगठनों के उद्‌भव में स्पष्ट रुप से परिलक्षित होता है। इस संघर्ष प्रक्रिया को सतत चलायमान रखने के लिए समाज की हर छोटी-बड़ी इकाईयों में महिला संगठनों का जाल है।

महिलाओं के अधिकारों के संबंध में भारत के संविधान में अनुच्छेद ३९ में समान काम के लिए समान वेतन देने की बात संकल्प के रूप में दोहराई गई है। संविधान का अनुच्छेद १४ विधी के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की एक सामान्य एवं व्यापक व्यवस्था प्रदान करता है। जबकि अनुच्छेद १५ किसी भी आधार पर असमानता ही प्रतिषेध करता है। ७३ वें संविधान संशोधन के अनुसार शासकीय निकायों तथा पंचायतों के स्तर पर निर्वाचित होंगी।

संविधान में महिलाओं के संरक्षण एवं समानता तथा सशक्तिकरण के तत्व प्रावधान के बावजुद भारतीय नारी घूटन की जिंदगी जी रही है। आज भी सामाजिक राजनितिक तथा पारिवारीक शोषण से वह मुक्त नही हो पायी है। आधुनिकता को भले ही हमने स्वीकार किया हो पर नारी के सशक्तिकरण को हमने दुर्लक्षित किया है। इस युग में जागरुकता के बावजूद महिलाओ पर अत्याचार बढते जा रहे है नेशनल क्राईम रिकार्डस ब्युरो के आंकडो के अनुसार देश भर में पिछले चार

वर्षो में महिलाओं के खिलाफ होनेवाले अपराधों में महिलाओं के खिलाफ होनेवाले अपराधों में ३५ से ४० प्रतिशत की वृध्दि हुई है उनमें कई महिलायें यौन उत्पीडन की शिकार है जैसे- आरुषी हत्याकांड आज हम इक्कीसवी-सदी में पहुँचकर खुद को गौरवान्वित अनुभव कर रहे है लेकिन असलियत मे हमें यह अधिकार भी नही है भले हम तकनीकी विकास के दौर में पहुँचने का दावा क्यों न करें लेकिन इस कटु सत्य से इंकार नही किया जा सकता की अपने देश मे दो महिला दशक (१९७६-८५) व (१९८६-९५) मना लेने व अन्तंराष्ट्रीय स्तर पर तीन महिला सम्मेलनों के आयोजनों के बाद भी विश्व के १७८ देशों में महिला शोषण व अत्याचारों में बेतहाशा वृध्दि हुई है। अपने देश की स्थिती तो बहुतेरे क्षेत्रों में महिला विकास में प्रगति के बावजूद महिलाओं के मामले में दयनीय है। वह आज भी पुरूषवादी अहं और शोषण के चक्र में फंसी है और सभी मोर्चो पर अन्याय, उत्पीडन की शिकार है। हालात यहां तक सोचनीय है कि वह अपने बारे में निर्णय ले पाने में भी असमर्थ हैं।

विडम्बना यह है कि भारतीय नारी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री बनी है, राष्ट्रपती तक बनी है और आज वह एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, तैरकर महासागर पार कर रही है, उत्तरी ध्रुव पर शोध कर रही है, भारतीय वायुसेना के इतिहास मे एयर मार्शल बनकर कीर्तिमान स्थापित कर देश के सर्वोच्च पद पर अपनी कुशलता की छाप छोड रही है, वही दूसरी ओर वह समाज में आज भी उपेक्षिता है, अनाहुत है। विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाने के बाद भी भारतीय समाज में उसका स्थान सबसे नीचे बना रहना एक दु:खद विडम्बना है। यह विडम्बना कब खत्म होगी यह तो समय बतायेगा लेकीन मै कह सकता हूं

"बंजर भूमि भी खिल सकती है,
अगर वहाँ पर जल हो
अबला भी सबला बन सकती है,
अगर हम में इन्सानियत हो।"

संदर्भ

१) आर. पी. तिवार / डी. पी. शुक्ला - भारतीय नारी : वर्तमान समस्या और भारतीय समाज (१९९९) ए.पी.एच. पब्लिकेशन नई दिल्ली।
२) प्रकाश नारायण नाटाणी - महिला संरक्षण एवं न्याय (२००७), - बुक एनवले, पब्लिकेशन जयपूर।
३) ज्ञानेंद्र रावत - औरत एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (२००६), - विश्वभारती प्रकाशन नई दिल्ली।
४) डॉ. रामचंद्र भिसे - भारतीय समाज एवं महिला सशक्तिकरण (२०१३), विकास प्रकाशन, कानपूर